प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 06.11.2026

ट्रांस हिंडन जोन, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के सभी थानों व साइबर/सर्विलांस टीम द्वारा भिन्न- भिन्न कम्पनियों के कुल 321 मोबाइल फोन (अनुमानित कीमत करीब 70-75 लाख रूपये) रिकवर कर मोबाइल फोन स्वामियों को लौटाये गये।

CEIR (सेन्ट्रल इक्वीपमेंट आइडेंटीटी रजिस्ट्रर) पोर्टल पर ट्रांस हिंडन जोन कमिश्नरेट गाजियाबाद के विभिन्न थानों पर मोबाइल फोन, स्नैचिंग/लूट व मोबाइल फोन खोने आदि की प्राप्त शिकायतों पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए ट्रांस हिंडन जोन पुलिस टीम द्वारा सर्विलांस एवं मैनुअल इनपुट की सहायता से सर्विलांस टीम द्वारा मोबाइल फोन का बरामदगी के लिये तकनीकी साक्ष्यों का गहन विश्लेषण कर भिन्न-भिन्न कम्पनियों के **कुल 321** मोबाइल फोन जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 70-75 लाख रूपये बरामदगी की गई है। चोरी, स्नैचिंग/लूट व खोये हुए मोबाइल फोन को देश के विभिन्न राज्यों (हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार, झारखण्ड, दिल्ली एनसीआर आदि) से बरामद किया गया। बरामद किये गये मोबाइल फोन को उनके स्वामियों की पहचान कर उनके सुपुर्द कर दिये गये हैं।

थानावार मोबाइल फोन बरामदगी का विवरणः-

1. थाना इन्दिरापुरम –62
2. थाना कौशाम्बी- 66
3. थाना खोड़ा- 37
4. थाना लिंकरोड- 32
5. थाना साहिबाबाद- 61
6. थाना टीलामोड- 31
7. थाना शालीमार गार्डन- 32

कुल योग- 321

ग्रामीण जोन, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के सभी थानों व साइबर/सर्विलांस टीम द्वारा भिन्न-भिन्न कम्पनियों के कुल 504 मोबाइल फोन (अनुमानित कीमत लगभग 01 करोड़ रूपये) रिकवर कर मोबाइल फोन स्वामियों को लौटाये गये।

CEIR (सेन्ट्रल इक्वीपमेंट आइडेंटीटी रजिस्ट्रर) पोर्टल पर ग्रामीण जोन कमिश्नरेट गाजियाबाद के विभिन्न थानों पर मोबाइल चोरी व मोबाइल खोने आदि की प्राप्त शिकायतों पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए ग्रामीण जोन साइबर टीम द्वारा सर्विलांस एवं मैनुअल इनपुट की सहायता से भिन्न-भिन्न कम्पनियों के कुल 504 मोबाइल फोन (अनुमानित कीमत लगभग 01 करोड़ रूपये) की बरामदगी की गई है। सभी थानों व साइबर/सर्विलांस टीम द्वारा मोबाइल फोन की बरामदगी के लिये तकनीकी साक्ष्यों का गहन विश्लेषण किया गया। बरामद किये गये मोबाइल फोन को मोबाइल फोन के स्वामियों की पहचान कर उनके सुपुर्द कर दिये गये हैं।

थानावार मोबाइल फोन बरामदगी का विवरणः-

1. **थाना लोनी – 97**
2. **थाना ट्रोनिका सिटी – 29**
3. **थाना अंकुर विहार – 17**
4. **थाना लोनी बॉर्डर – 70**
5. **थाना मसूरी – 95**
6. **थाना मुरादनगर – 89**
7. **थाना मोदीनगर – 62**
8. **थाना निवाड़ी- 20**
9. **थाना भोजपुर- 25**

कुल योग – 504

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये हुये 07 मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल बरामद।

दिनांक 03.11.2026 को थाना लोनी पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि वादी डिलीवरी का काम करता है, मोबाइल ऑर्डर देने के दौरान बन्थला से अज्ञात चोर द्वारा वादी का बैग चोरी कर ले जाना जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी पर तत्काल सुसंगत धारा- 303(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 05.11.2026 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर चोरी की घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्तगण 1. अमन पुत्र राजेन्द्र निवासी - महल कॉलोनी बंथला लोनी गाजियाबाद, 2. मनीष पुत्र कांति प्रसाद निवासी सरल कुंज पच्चीस फुटा रोड बंथला लोनी गाजियाबाद, 3. यश उर्फ जस्सी पुत्र बिजेन्द्र शर्मा निवासी ज्योति विहार बंथला लोनी गाजियाबाद को थाना लोनी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से चोरी के 07 मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल बरामद। उक्त बरामदगी के

आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा- 317(2)/3(5) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्तों द्वारा पूछताछ करने पर बताया कि हम तीनों मिलकर चोरी की घटना कारित करते है। यह मोबाइल हम तीनों ने कुछ दिनों पहले बन्थला से चोरी किये थे, मोटरसाइकिल यश उर्फ जस्सी के जीजा के नाम पंजीकृत है। हम इन मोबाइलों को बेचने की फिराक में थे कि पुलिस चेकिंग में पकड़े गये।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता–

1.अमन पुत्र राजेन्द्र निवासी - महल कॉलोनी बंथला लोनी गाजियाबाद, उम्र- लगभग 26 वर्ष
2. मनीष पुत्र कांति प्रसाद निवासी सरल कुंज पच्चीस फुटा रोड बंथला लोनी गाजियाबाद, उम्र लगभग 22 वर्ष
3. यश उर्फ जस्सी पुत्र बिजेन्द्र शर्मा निवासी ज्योति विहार बंथला लोनी गाजियाबाद, उम्र- लगभग 20 वर्ष

बरामदगी का विवरण -

अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के 07 मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्तों के विरूद्ध थाना लोनी पर चोरी के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना खोडा पुलिस टीम चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना कारित करने वाले शातिर चोर को किया गिरफ्तार, निशानदेही/कब्जे से चोरी कुल 199100/- रुपये नगद, 02 पैन कार्ड, 02 आधार कार्ड, 04 बैंक पास बुक व 01 सन्दूक बरामद ।

दिनांक 05.11.2026 को थाना खोडा पर वादी सलाउद्दीन पुत्र मो0 शब्बीर आलम निवासी दीपक विहार थाना खोड़ा गाजियाबाद द्वारा तहरीर दी गई कि दिनांक 03.11.2026 को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के घर से एक सन्दूक चोरी कर ले जाना जिसमें 03 लाख रुपये नकद व कुछ कागजात थे। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खोड़ा पर तत्काल सुसंगत धारा 305(ए) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 06.11.26 को थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा मैनुअल इनपुट, सर्विलांस, सीसीटीवी कैमरे आदि की मदद से उपरोक्त चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना कारित करने वाले अभियुक्त प्रियांशू उर्फ कृष्णा उर्फ क्रिश पुत्र धर्मवीर निवासी शाहू धर्मशाला के पास शेखूपुर थाना सिविल लाइन जिला बदायूं हाल पता आजाद विहार थाना खोड़ा गाजियाबाद, उम्र करीब 19 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिसकी निशानदेही/कब्जे से चोरी कुल 199100/- रुपये नगद, 02 पैन कार्ड, 02 आधार कार्ड, 04 बैंक पास बुक व 01 सन्दूक बरामद हुए। उक्त बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। आवश्यक वैधानिक कार्वयाही की जा रही है।

अभियुक्त के बयानों व विवेचना के क्रम में उपरोक्त अभियोग में अभियुक्त हर्ष साहू पुत्र महेश साहू निवासी कविता पैलेस के पास थाना खोड़ा का नाम प्रकाश में आया है, जिसकी गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैंने अपने साथी हर्ष साहू के दीपक विहार खोडा स्थित एक घर से एक संदूक चोरी किया था जिसे हमने एक खेत में छिपा दिया था। मेरे हिस्से में चोरी के रूपयों में से 199100/- रुपये, 02 पैन कार्ड, 02 आधार कार्ड 04 बैंक पास बुक आये थे। बाकी के रुपये मेरे साथी हर्ष साहू के पास हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

प्रियांशू उर्फ कृष्णा उर्फ क्रिश पुत्र धर्मवीर निवासी शाहू धर्मशाला के पास शेखूपुर थाना सिविल लाइन जिला बदायूं हाल पता आजाद विहार थाना खोड़ा गाजियाबाद, उम्र करीब 19 वर्ष।

वांछित अभियुक्त का विवरण-

हर्ष साहू पुत्र महेश साहू नि0 कविता पैलेस के पास थाना खोड़ा

बरामदगी का विवरणः-

निशानदेही/कब्जे से चोरी कुल 199100/- रुपये नगद, 02 पैन कार्ड, 02 आधार कार्ड, 04 बैंक पास बुक व 01 सन्दूक बरामद ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध उक्त प्रकरण के संबंध में थाना खोडा पर चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

थाना खोडा पुलिस टीम।

थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम द्वारा हत्या करने वाली 01 अभियुक्ता गिरफ्तार व घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल एक पेचकश, एक बेडसीट, एक चादर(लुग्गी) एक खाली गलूकोज मय निडिल, पांच खाली इजेक्शन की शीशी, एक सिरंज मय निडिल बरामद।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 05.10.2026 को वादी श्री राहुल राठी पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह राठी नि0 ग्राम जलालपुर थाना पिसावा, जिला अलीगढ़ मो0नं0 8859471583 ने थाना उपस्थित आकर लिखित तहरीर दी और बताया कि मेरी बहन रेनू की हत्या उसके पति अरुण पुत्र विनोद व ससुर विनोद पुत्र स्व0 प्रीतम सिंह व सास श्रीमती रोहताशी पत्नी विनोद कुमार व देवर अर्पण कुमार पुत्र विनोद कुमार समस्त नि0गण ग्राम सदरपुर थाना मधुबन बापूधाम कमि0 गाजियाबाद ने मिलकर लोहे की राड व पेचकस आदि से गोदकर व मारपीट कर जान से मारकर हत्या कर दी थी।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मधुबन बापूधाम पर **धारा 85/103(1) बीएनएस** के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। उच्चाधिकारीगणो के आदेशानुसार थाना मधुबन बापूधाम द्वारा उपरोक्त मुकदमे की विवेचना की गयी तथा दौराने विवेचना प्रकाश में आयी अभियुक्ता पिंकी पत्नी अर्पण नि0 ग्राम सदरपुर थाना मधुबन बापूधाम कमि0 गाजियाबाद का नाम प्रकाश में आया था जिसकी गिरफ्तारी हेतु थाना मधुबन बापूधाम पर पुलिस टीम का गठन किया गया। जिसके क्रम में थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम द्वारा चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति तथा वाहन चैकिंग के दौरान सिटी पार्क से 500 मीटर पहले पुलिस लाईन की ओर जाने वाले रोड से अभियुक्ता **पिंकी पत्नी अर्पण नि0 ग्राम सदरपुर थाना मधुबन बापूधाम कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष** को आज दिनांक 06.11.2026 को गिरफ्तार किया गया। जिनकी निशादेही पर आज दिनांक 06.11.2026 को **घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल एक पेचकश**, **एक बेडसीट**, **एक चादर(लुग्गी) एक खाली गलूकोज मय निडिल** , **पांच खाली इजेक्शन की शीशी**, **एक सिरंज मय निडिल** बरामद हुए है। गिरफ्तार अभियुक्ता के विरुद्ध अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्ता ने पूछताछ के दौरान बताया कि रेनू आये दिन घर में छोटी छोटी बातो को लेकर व खाना बनाने को लेकर आये दिन विवाद करती रहती थी जिससे रोज रोज घर में कलह होती थी इसी से तंग व परेशान होकर मैने व मेरे जेठ व सास ससुर व पति ने मिलकर उसके सिर में लोहे की रोड मारकर, तथा पेचकस से गोदकर मारपीट कर उसकी हत्या कर दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता:-

1. **पिंकी पत्नी अर्पण नि0 ग्राम सदरपुर थाना मधुबन बापूधाम कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष**

गिरफ्तार अभियुक्ता उपरोक्त का अपराधिक इतिहास:-

1. धारा 85/103(1) बीएनएस थाना मधुबन बापूधाम कमिश्नरेट गाजियाबाद पर पंजीकृत अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण:-

1. आलाकत्ल एक पेचकश
2. एक बेडसीट
3. एक चादर(लुग्गी)
4. एक खाली गलूकोज मय निडिल
5. पांच खाली इजेक्शन की शीशी
6. एक सिरंज मय निडिल।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम।